



केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
 Tel.: 011-2695168, 8860748880
 Email- mpquota@kvs.gov.in
 Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

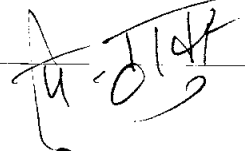
माननीय सांसद **Shri K.C. Venugopal** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **856** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (In Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	YASHWASWINI BHARADWAJ	POURUSH KANT BHARADWAJ, MOB-9024146978	9	NO. 1 JAIPUR
2	MUDASSIR	MOHAMMAD SADIQUE, MOB-9829302632	2	NO. 4 JAIPUR
3	MOHAMMED MUZAMMIL	AMEENUDDIN, MOB-9829302632	2	NO. 4 JAIPUR
4	UDAYVEER SINGH SHEKHAVATH	SHIVARAJ SINGH SHEKHAVAT, MOB-9829302632	5	NO. 2 JAIPUR
5	SAMARVEER SINGH RATHORE	RANVEER SINGH RATHORE, MOB-9660646788, 7300182070	3	NO. 2 JAIPUR
6	JANAVI YADAV	NEERAJ KUMAR YADAV, MOB-7568584315	3	NO. 3 JAIPUR
7	ADITYA JOSHI	ASHISH JOSHI, MOB-8003044444	2	NO. 1 JAIPUR
8	DEEPANSHU JANGID	DEEPAK KUMAR, MOB-7689059659	6	KHETRI NAGAR
9	KAUSALYA KANWAR	SAMANDAR SINGH, MOB-9828965120	6	AFS UTTARLAI BARMER
10	ABEER CHAUDHARY	RAJPALK FOGAWAT, MOB-9953721053	1	NO. 2 JAIPUR

कृ. पृ. उ.
 पि. मा. 2

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2021** है।


(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri K.C. Venugopal माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **JAIPUR** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)